भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2337
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की स्थिति

2337. श्री देवेश शाक्यः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज जिलों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या 'पीएम-एबीएचआईएम' के अंतर्गत एटा और कासगंज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो शेष कार्य को पूरा करने की क्या समयसीमा है;
(ग) क्या दवाओं और टीकों के भंडारण के लिए स्थानीय स्तर पर ब्लॉक-स्तरीय शीतागार श्रृंखला प्रणाली विकसित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) देश भर के जिला अस्पतालों में डायलिसिस और कीमोथेरेपी सुविधाओं के विस्तार के लिए अब तक आवंटित और उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक (सीएस) शामिल हैं, जिसका योजना अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है।

इस योजना में स्वास्थ्य अनुसंधान सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी और जन स्वास्थ्य कार्यलापों को एकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए नए सुधारों की परिकल्पना की गई है, ताकि समुदाय ऐसी वैश्विक महामारियों अथवा स्वास्थ्य संबंधी संकट के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के अंतर्गत उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों को सुदृढ़ करना है ताकि सभी स्तरों नामत: प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्तरों पर निरंतर परिचर्या प्रदान की जा सके, साथ ही स्वास्थ्य प्रणालियों को वर्तमान और भावी महामारियों और आपदाओं का प्रभावकारी ढंग से सामना करने के लिए तैयार किया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, एटा जिले के लिए पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत 10 भवनहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), 7 यू-एएएम, 4 बीपीएचयू, 1 आईपीएचएल और 1 सीसीबी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आईपीएचएल और सीसीबी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसी प्रकार, कासगंज जिले के लिए 5

भवनहीन एसएचसी, 6 यू-एएएम, 6 बीपीएचयू, 1 आईपीएचएल और 1 सीसीबी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आईपीएचएल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जबकि सीसीबी का निर्माण कार्य लगभग 85% पूरा हो गया है।

एटा और कासगंज जिलों में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत टीकों के भंडारण के लिए ब्लॉक स्तर पर कार्यशील कोल्ड चेन सिस्टम मौजूद है। एनसीसीएमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एटा जिले में यूआईपी के तहत टीकों के भंडारण के लिए 11 कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जबकि कासगंज जिले में 13 कोल्ड चेन पॉइंट हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016 में देश भर में जिला अस्पताल स्तर पर हीमोडायलिसिस केंद्र स्थापित करके डायलिसिस को सुलभ और किफायती बनाने उद्देश्य से शुरू किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के मरीजों को डायलिसिस सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के मरीजों को रियायती दरों पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के अंतर्गत स्वीकृतियों और व्यय का वर्षवार और राज्यवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (एनएचएम) के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	8.50	0.00	17.08	1.55
2	आंध्र प्रदेश	5307.87	4061.58	5680.55	5143.70	5776.12	3948.86
3	अरुणाचल प्रदेश	611.66	405.90	728.99	364.00	881.68	278.40
4	असम	1715.75	1587.45	1985.98	1850.96	3810.99	2465.58
5	बिहार	3112.37	2597.89	3521.01	3302.98	4991.50	3998.78
6	चंडीगढ़	4.00	0.02	4.25	0.25	10.53	7.12
7	छत्तीसगढ़	1182.40	617.78	1225.48	877.70	2162.00	955.55
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2.22	0.00	2.22	0.00	1.63	0.00
9	दिल्ली	703.84	416.76	709.03	572.39	860.20	720.38
10	गोवा	1247.32	937.74	1234.32	783.40	1630.91	881.95
11	गुजरात	4308.05	1869.73	4280.60	5103.79	6069.33	5645.23
12	हरियाणा	337.95	243.71	337.95	308.81	1848.70	537.90
13	हिमाचल प्रदेश	291.50	10.78	309.50	27.38	125.71	166.65
14	जम्मू और कश्मीर	303.00	67.57	768.60	106.26	437.13	109.78
15	झारखंड	826.76	324.04	674.56	315.19	1502.59	849.50
16	कर्नाटक	7735.07	3413.39	6604.02	4315.15	7995.19	6913.07
17	केरल	1522.36	401.89	1024.14	677.57	1382.47	493.83
18	लद्दाख	204.86	89.71	194.06	53.75	112.70	90.31
19	लक्षद्वीप	18.70	0.00	19.64	2.54	21.20	12.18
20	मध्य प्रदेश	1965.30	1704.39	3073.97	1969.26	2970.24	2098.07
21	महाराष्ट्र	2516.93	466.76	1488.39	579.07	4574.29	102.03
22	मणिपुर	563.33	334.05	568.83	297.02	932.72	389.15
23	मेघालय	65.07	74.31	50.05	27.33	320.13	85.99
24	मिजोरम	49.01	0.00	40.95	27.31	85.78	12.52
25	नागालैंड	247.28	133.24	208.53	206.71	466.08	314.09
26	ओडिशा	2413.73	2202.31	3317.57	2553.95	2740.69	4014.69
27	पुदुचेरी	107.20	44.36	105.10	36.38	164.20	24.53
28	पंजाब	185.14	58.97	196.29	196.29	1775.40	189.73
29	राजस्थान	877.31	213.12	877.31	216.65	918.00	423.42
30	सिक्किम	98.50	31.06	14.83	75.87	325.30	220.79
31	तमिलनाडु	966.32	1226.81	1224.30	1200.58	1194.25	963.99
32	तेलंगाना	64.74	2.38	54.95	11.85	52.00	1.36
33	त्रिपुरा	210.41	86.05	202.85	168.71	253.38	215.74
34	उत्तर प्रदेश	8097.37	5613.32	11691.30	4825.25	17301.42	8915.59
35	उत्तराखंड	259.74	78.02	263.26	168.94	784.75	297.31
36	पश्चिम बंगाल	6586.68	5276.15	7248.67	3629.06	7644.41	2732.66

नोट:

1. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा प्रस्तुत उपलब्ध एफएमआर के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।
2. व्यय में केंद्र द्वारा जारी की गई राशि, राज्य द्वारा जारी की गई राशि और वर्ष के प्रारंभ में शेष बची राशि का व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

******